5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

[illegible] जमीन का मूल्य मार्गदर्शिका [illegible] निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है।

निबंधन पदाधिकारी

:- बिक्रय पत्र केवाला दस्तावेज -:

केवाला दातागण :-1-श्री मधु सुदन प्रसाद जयसवाल, 2-श्री शत्रुघ्न प्रसाद जयसवाल, पिता श्री बिनोद प्रसाद जयसवाल, जाति-बनिया, पेशा-व्यवसाय, साकिम-हीरापुर, थाना वो जिला-धनबाद, उक्त दातागण के तरफ से आम--मोखतार श्री भागीरथ महतो, पिता श्री रामधन महतो, जाति-तेली, पेशा-व्यवसाय, साकिम-हरियाडीह, थाना-बरवाअड्डा, जिला-धनबाद, जिसका आम--मोखतार संख्या-IV 109 दिनांक-31.05.2005 को धनबाद निबंधन कार्या--लय से निबंधीत किया हुआ है ।भारतीय। ।

केवाला ग्रहिता :- श्रीमती कान्ती देबी, पति श्री ईश्वर प्रसाद साव, जाति-तेली, पेशा-गृहिणी, साकिम-गांधीरोड, थाना वो जिला-धनबाद ।भारतीय। ।

.....2

000161/05

3058/04-05
Smt- Kanti Devi
Gandhi Nagar Dhanbad

5000/- (5000x1)
8/6/05

भागीरथ महतो
८।६।०५

दिनांक दि. ८.६.०५ 2005 ... 6.30 से 10.00 ... जिला अवर निबंधक
... नामल नग -109 दि. 31.05.05 धनबाद
द्वारा ... धनबाद ... के अधीन
लेख्यकारी : भागीरथ महतो
पिता/पति : रामधन महतो
ग्राम हरिपाडीह
जाति तेली ... बरवाअड्डा ... धनबाद

निबंधन पदाधिकारी के हस्ताक्षर 8/6/05 ... उपस्थापक का हस्ताक्षर

सदर जिला अवर निबंधक धनबाद

... भागीरथ महतो

... राजेश्वर सिंह
... रामदेव सिंह
निष्पादित करता है।

205 / V3/05
206 / V3/05

भागीरथ महतो
८।६।०५

राजेश्वर सिंह
8/6/2005

निबंधन पदा० ...
धनबाद
8/6/05

Scanned by CamScanner

बिक्रयपत्र ।केवाला दस्तावेज। ।

मूल्य-1,20,000/- ।एक लाख बीस हजार रूपये मात्र। ।

सालाना मालगुजारी-50 पैसा मात्र ।

अंचल कार्यालय धनबाद, मालिक जमीन्दार झारखंड सरकार ।

विवरण जायदाद :- जिला अवर निबंधन कार्यालय धनबाद, थाना धनबाद, अन्तर्गत "बारमुड़ी" मौजा में कायेमी रैयती स्वत्व की खरिदा हुआ जमीन । मौजा बारमुड़ी, मौजा नं0-3, खाता नं0-4, ।चार। प्लोट नं0-5 ।पांच। रकवा-4.66 कट्ठा यानि-7.70 डिसमिल जमीन हमलोग आज ईस केवाला दस्तावेज द्वारा बिक्री किया । जिसका नया प्लोट नं0-134 बना है ।

जिसका चौहद्दी :-

उत्तर- इसी प्लोट का बाकी अंश,

दक्षिण- प्रस्तावित रास्ता,

पुरब- प्रस्तावित रास्ता,

पश्चिम- प्लोट नं0-$\frac{5}{498}$

मूल एवं द्वितीयक दस्तावेज के साथ एक-एक प्रति नक्शा नत्थी किया गया है, एवं बिक्रीत स्थान को लाल रंग से रंगाकर दर्शाया गया है ।

उपरोक्त जमीन धनबाद निबंधन कार्यालय का निबंधीत किया हुआ केवाला दस्तावेज संख्या-8556 एवं 8557 दिनांक-31.8.84 साल को सुकु ग्वालीन के निकट से एक नं0 दाता का खरिदा हुआ जमीन है, एवं केवाला दस्तावेज संख्या-8554 एवं 8555 दिनांक-31.8.84 साल को सुकु ग्वालीन के निकट से दो नं0 दाता का केवाला खरिदा हुआ जमीन है । जो धनबाद निबंधन कार्यालय में - निबंधीत है । तथा अंचल कार्यालय धनबाद में थोका संख्या-548 एवं 551 के अन्तर्गत मालगुजारी का रसीद कटती है ।

...3

उपरोक्त जमीन बिक्री हेतु ज्ञापांक-86, दिनांक-6.1.2005 को शहरी भु--हदबन्दी अपर-समाहर्त्ता धनबाद से अनापत्ति निर्गत किया गया है ।

चुँकि विवरण यह है कि दाता को सांसारिक खर्च के लिए रूपये की अति - आवश्यकता आ पड़ी है । इसलिए विवरण में दिये गयेजायदाद बिक्री किये बिना रूपये की बन्दोवस्त होना कठीन है । इसलिए उपरोक्त जायदाद को बिक्री करने घोषणा कि एवं ग्रहिता ने विवरण में दिये गये जायदाद खरीदने को राजी हुए, एवें दोनो पक्षो की मशवारा से उक्त जायदाद की मूल्य-1,20,000/- रूपये लेकर विवरण में दिये गये जायदाद बिक्री कर हमेशा के लिए निः स्वत्व हुए, एवं ग्रहिता को दखलकार किया तथा दखल दिया ।

दातागण का जिस तरह का हक-अख्तीयार, दावी-दावा है, आज तारिख से ग्रहिता को हुआ । ग्रहिता, जायदाद पर मकान, आंगन, कुँआ, बगान-बगिचा आदि तैयार कर निज वसवास या किराया बन्दोवस्त कर अपना ईच्छानुसार दान, बिक्री, रेहनादि मनमाना कर सकती है । इससे दातागण या दातागण के वंशज कभी किसी तरह का वजुर या एतराज न होगा, अगर करें तो कानुनन बातिल और नामंजुर होगा ।

उपरोक्त जायदाद का दाखिल-खारिज के संबंध में दातागण को जो कुछ भी ग्रहिता को मदद करना पड़े वह बिना वजुर करेंगे । बिक्री जायदाद की सालाना मालगुजारी मालिक जमीन्दार झारखंड सरकार को बराबर अदा देकर दातागण के नाम कटवाकर ग्रहिता अपना नाम से दाखिल-खारिज करवा कर मालगुजारी की रसीद हासिल करेंगे ।

बिक्री जायदाद दातागण के खास दखल में है, कभी किसी तरह का हस्ता--न्तरण आदि नही किया हुआ है । अगर भविष्य में किसी तरह का दाय-संयोग

...4

Scanned by CamScanner

भागीरथ महतो
२।६।०५

या हस्तान्तर आदि पाया जाय और उससे ग्रहिता या ग्रहिता के वंशज को क्षति पहुंचे तो दातागण या दातागण के वंशज क्षतिपुरण का देनदार होगा या होंगे ।

अतः दातागण अपना-अपना स्थिर बुद्धि एवं सरलता से बिचार कर मूल्य का पुरा रूपये पाकर एवं समझ-बुझकर यह बिक्रय पत्र केवाला दस्तावेज लिख दिया कि समय पर काम आवें ।

इति तारिख- 8/6/05

मैंने दस्तावेज का प्रारूप बनाया एवं दोनो पक्षों को पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया ।

भागीरथ महतो धनबाद
लाइ० नं० 9/88-89

प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज एवं द्वितीयक प्रति एक-दूसरे कि हूबहू और सच्ची - प्रतिलिपि है ।

भागीरथ महतो
२।६।०५

:- गवाहगण -:

॥1॥ २।७।२।९२ रिदई मुली

॥2॥ Sadanand Prasad
Dhanbad.

टंकक:

विक्रेता: ①श्री मधुसूदन प्रसाद जायसवाल ② श्री शत्रुघ्न प्रसाद जायसवाल पिता श्री विनोद प्रसाद जायसवाल साकिम हीरापुर थाना वो जिला धनबाद उक्त दातागण के तरफ से आममोख्तार श्री भागीरथ महतो पिता श्री रामधन महतो साकिम हरियाडीह थाना बरवाअड्डा जिला धनबाद।

क्रेता:- श्री मती कान्ती देवी पति श्री ईश्वर प्रसाद साव साकिम गाँधी रोड़ थाना वो जिला धनबाद।

तपशील:- मौजा बारमुड़ी नं० 3 थाना धनबाद खाता 4 प्लाट नं० 5 रकबा 4.66 कट्ठा यानि 7.70 डिसमील जो नक्शे पर लाल चिन्हीत स्थान है। जिसका नया प्लाट नं० 134 बना है।

चौहद्दी उ० इसी प्लाट का बाकी अंश
द० प्रस्तावित रास्ता
पु० प्रस्तावित रास्ता
प० प्लाट नं० $\frac{5}{498}$

भागीरथ महतो
7/4/04

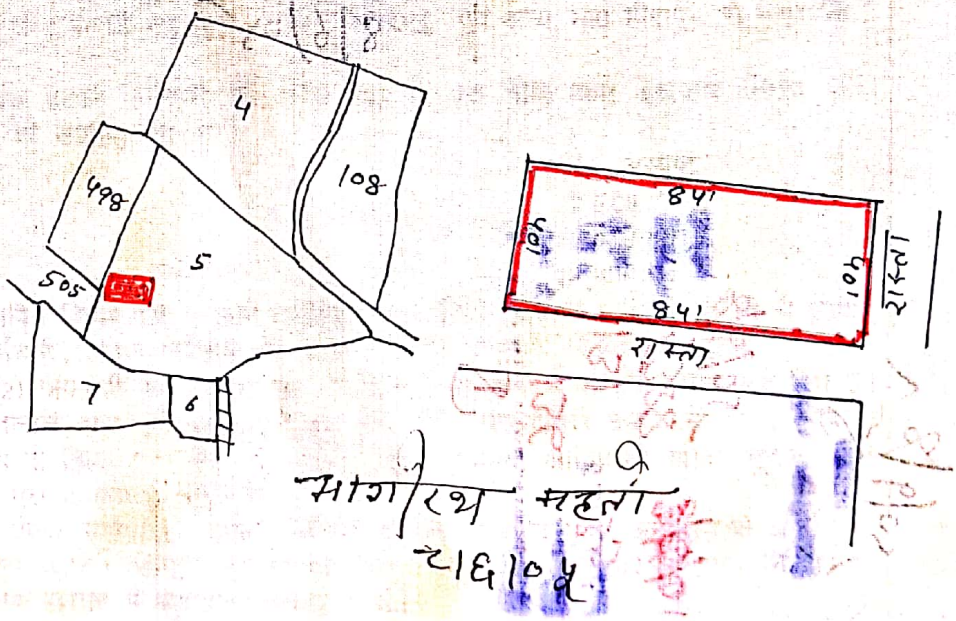

मन्नू महतो
अमीन